



मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम,  
“पर्यटन भवन”, भदभदा रोड, भोपाल

फोन: 0755-2774341 / 43

क्रमांक 4111/यॉत्रिकी/पविनि/13

भोपाल, दिनांक 19/06/2013

वाहन किराये पर लेने हेतु  
कोटेशन – नोटिस

म0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा संचालित टेक्सी कोटे से जीप वाहन मासिक किराये पर लेने हेतु प्रदायकर्ताओं से उनके दर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय निगम मुख्यालय पर्यटन भवन भदभदा रोड भोपाल में दिनांक 29/06/2013 तक (अपराह्न 3.00 बजे) आमंत्रित है, इसके बाद प्राप्त कुटेशन दरों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा तथा डाक में देरी की जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी। प्राप्त कुटेशन उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे पार्टियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे।

कुटेशन प्रपत्र एवं शर्तें निगम की वेबसाईड [www.mptourism.com](http://www.mptourism.com) से अपलोड किये जा सकते हैं अथवा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक 28/06/2013 शाम 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री

**कुटेशन प्रपत्र एवं शर्ते  
(वाहन किराये पर लेने हेतु)**

01	पार्टी का नाम एवं पूर्ण पता फोन न., मो.नं., ई मेल सहित :-	
02	आयकर पेन नं. :-	
03	सर्विस टेक्स नं. :-	
04	फर्म अगर पंजीकृत है तब पूर्ण विवरण :-	
05	अनुभव :-	
06	किराये पर दिये जाने वाले वाहन का पूर्ण विवरण :-	
	(अ) वाहन किस कम्पनी का है :-	
	(ब) वाहन का पंजीयन क्रमांक :-	
	(स) वाहन क्रय करने की तिथि :-	
	(द) वाहन की वर्तमान रीडिंग :-	
	(इ) वाहन किस नाम से पंजीकृत है उसका पूर्ण विवरण (छायाप्रति संलग्न करे)	
07	वाहन का किराया प्रतिमाह ₹ (सभी करो सहित)	
08	अन्य विवरण जो देना चाहे:-	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सत्य है एवं निगम द्वारा जारी की कई सभी शर्ते मुझे मान्य है।

**भवदीय**

**पार्टी का नाम**

## (वाहन किराये पर लेने हेत शर्तें)

1. किराये पर वाहन वर्ष 2013 का क्रय किया हुआ तथा टेक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना चाहिये तथा वाहन किसी प्रकार से दुर्घटना ग्रस्त नहीं होना चाहिये।
2. वाहन पावर स्टीरिंग युक्त वातानुकूलित बुलेरो/जायलो या समकक्ष की आवश्यकता है।
3. 04 नग वाहन किराये पर लेने की संभावना है तथा वाहन एक वर्ष की समयावधि हेतु लिये जावेगे।
4. वाहन का चालन निगम द्वारा नियुक्त वाहन चालक द्वारा किया जावेगा।
5. वाहन में आइल/डीजल/कुलेन्ट निगम द्वारा दिया जावेगा।
6. वाहन की मरम्मत, टायर, ट्यूब बदलने का कार्य एवं अन्य आवश्यक सुधार कार्य वाहन प्रदायकर्ता द्वारा कराया जावेगा।
7. वाहन प्रतिमाह लगभग 4000-5000 कि०मी० चलने की संभावना है।
8. वाहन किराये अवधि तक निगम अधिकारी के पास ही रहेगा। अवधि समाप्त होने पर दोनों पक्षों की सहमति से पुनः अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
9. वाहन का किराया संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिमाह 15 तारीख तक किया जावेगा तथा नियमानुसार आयकर की काटौती की जावेगी।
10. वाहन का बीमा, रोड टेक्स एवं वाहन से संबंधित अन्य टेक्सों का भुगतान वाहन प्रदायकर्ता द्वारा ही किया जावेगा।
10. वाहन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, संभागों में संभाग वार कार्यरत रहेंगे।
12. धरोहर धनराशि ₹5000/- (पाँच हजार) म०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के नाम देय बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के रूप में जमा की जावेगी। न्यूनतम कोटेशन पर वाहन प्रदाय न करने पर जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा जिन के दर मान्य नहीं होंगे उन्हें उन की जमा राशि वापिस कर दी जावेगी।

\*\*\*